राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7 (2) ()/रा.छा./सान्याअवि/18/ 29876-30085 जयपुर,दिनांक 6/04/18

उप निदेशक/सहायक निदेशक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...(समस्त)	प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (राईस) ....(समस्त)

विषयः—विभागीय राजकीय भवनों के उचित रखरखाव हेतु **दिनांक 10.04.2018 से 30.06.2018 तक "भवन सुधारो अभियान"** के क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय राजकीय भवनों में संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालय, गृहों आदि भवनों में उचित रखरखाव, टूट—फूट की मरम्मत, रंग—रोगन, नवीनीकरण आदि की आवश्यकता महसूस की गई है। विभाग द्वारा इस संबंध में **"भवन सुधारो अभियान"** निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाना है :—

(A). "भवन सुधारो अभियान" में किये जाने वाले कार्य :—

a. विभागीय राजकीय भवनों, आवासीय विद्यालयों , छात्रावासो एवं गृहों में लघु मरम्मत आदि:—

1.विभागीय राजकीय भवनों की मरम्मत व रंग—रोगन आदि।

2.फर्नीचर, दरवाजे—खिडकियां, खिडकियों के शीशे, खिडकियों की जालियां, अलमारियों के दरवाजे आदि की मरम्मत।

3.राजकीय भवनों का नाम, आवश्यक दिशा—निर्देशों का दीवारों पर पेंट से अंकन।

4.शौचालय एवं स्नानघरों में सैनेट्री फिटिंग्स एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।

5.बिजली फिटिंग्स, पंखे की सर्विसिंग,स्वीच्स आदि की मरम्मत।

b. विभागीय राजकीय भवनों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासो एवं गृहों में साफ—सफाई :—

1.शौचालय एवं स्नानघरों की साफ—सफाई ।

2.जल संग्रहण हेतु प्रयुक्त टंकियों, हौद आदि की समुचित साफ—सफाई।

3.विभागीय राजकीय भवन एवं भवन परिसर की साफ—सफाई।

4.खाना खाने एवं पानी पीने के लिए प्रयुक्त होने वाले बर्तनों की समुचित साफ—सफाई।

5.खाद्य सामग्री के रखने हेतु उपयोग में आने वाले डिब्बों/टंकियों की समुचित साफ—सफाई।

6.बिस्तर यथा—कंबल, खेस, चद्दर, तकिये कवर आदि की धुलाई/ड्राई—क्लीनिंग।

(B). वित्त व्यवस्था :—

उक्तानुसार **"भवन सुधारो अभियान"** में मरम्मत, रंग—रोगन, साफ—सफाई आदि कार्य करवाने हेतु निम्नानुसार वित्तीय राशि का उपयोग किया जा सकेगा :—

- छात्रावास/आवासीय विद्यालय के भवनों की मरम्मत आदि कार्यो के लिए प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह नियत राशि 50 रूपए का उपयोग किया जा सकेगा।
- छात्रावास स्तर पर उपलब्ध मैस समिति की बचत राशि में से भी RTPP Act 2012 एवं RTPP नियम,2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार व्यय किया जा सकेगा।
- राजकीय भवनों की मरम्मत के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि में से शेष बची राशि का उपयोग हेतु संबंधित कार्यकारी एजेन्सी से सुनिश्चित करवाया जावे।

क्रमांक :एफ 7 (2) ( )/स.छा./सान्याअवि/18/ 30086-190 जयपुर ,दिनांक 6/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राज जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधि. विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, विशेष योग्यजन।
5. निजी सहायक, निदेशक, बाल अधिकारिता।
6. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
7. निजी सहायक, अति. निदेशक,(अनु.जाति एवं जनजाति कल्याण), सान्याअवि, मुख्यावास।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.) मुख्यावास।
10. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
11. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास)/महिला कल्याण/वृद्व कल्याण, मुख्यावास।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई–मेल हेतु।
14. सहायक निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला कलेक्टर (समस्त)
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त)
17. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त)
18. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

भवन सुधारो अभियान 2018–19 के लिए आवासीय विद्यालय/छात्रावास /गृहों हेतु प्रिंसिपल/छात्रावास अधीक्षक /गृह प्रभारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्रः–

आवासीय विद्यालय /छात्रावास /गृह का नाम..

जिले का नाम..

उपलब्ध वित्तीय संसाधन/राशि का विवरण

बजट के स्त्रोत	उपलब्ध राशि
(1)छात्रावास की मैस समिति की बचत राशि	
(2)प्रति आवासी 50 रू. की बचत/अवशेष राशि	
(3)राजकीय भवनो में मरम्मत के लिये पूर्व मे स्वीकृत राशि यदि है तो विवरण	
(4)जनप्रतिनिधियो/भामाशाह/अभिभावको द्वारा दी गयी राशि का विवरण	
(5)अन्य उपलब्ध मद/संसाधन	
कुल उपलब्ध राशि	

चिन्हित किये गये कार्य

अभियान में कराये जाने वाले कार्यो की श्रेणी	श्रेणी अनुसार चिन्हित कार्यो का विवरण	अनुमानित लागत राशि
1. विभागीय भवनों की मरम्मत/रंग रोगन		

2. फर्नीचर,दरवाजे–खिड़कियों / अलमारियों की मरम्मत		
3. शौचालय एवं स्नानघरों में सेनैट्री फिटिंग्स / पानी की व्यवस्था		
4. विद्युत / पंखे मरम्मत एवं विद्युत फिटिंग कार्य		
5. अन्य कार्य यदि कोई हो		
	कुल अनुमानित लागत राशि	

नोटः—उपरोक्त प्रपत्र दिनांक 17.04.2018 तक भरकर छात्रावास अधीक्षक द्वारा जिलाधिकारी को जमा कराया जाना आवश्यक है।

हस्ताक्षर संस्था प्रभारी